



प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक जुलाई 26, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 96 वाहनों का चालान किया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 29 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता मनीता पत्नी रामललित नि0 सूरपार नर्सरी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 162/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त अखिलेश जायसवाल पुत्र आत्माराम नि0 कोट कम्हरिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त जीतबहादुर पुत्र स्व0 दुखी केवट नि0 मैनहवां थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त अमित पाण्डेय पुत्र रामराज नि0 मुकुन्दपुर थाना सुमेरगढ़ जनपद रुपनदेही राष्ट्र नेपाल के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजू पुत्र रामनरेश नि0 सिसवा बाजार थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता शीला देवी पत्नी स्व० सूरज साहनी नि० भारी बैसी नर्सरी थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 152/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बिट्टू उर्फ रामकृपाल पुत्र अवधेश नि० मंगलपुर पटखौनी थाना घुघली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अब्दुल रउफ उर्फ निहाल पुत्र मो० इस्लाम नि० बैरवां बनकटवां थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद कारतूस बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 139/22 धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 07 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 25/26.07.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 36 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।